पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रि0न0 167/2024

1 नत्थू सिंह पुत्र स्व० श्री खींव सिंह आयु 68 वर्ष जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ।

2 उच्छव कंवर (पुत्री स्व० श्री खींव सिंह) धर्मपत्नी स्व0 श्री पृथ्वीराज सिंह आयु 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी पुरानी गिनाणी, राणासर हाऊस, बीकानेर, तहसील व जिला बीकानेर।

3 पुष्प कंवर उर्फ सम्पत कंवर (पुत्री स्व० श्री खींव सिंह) धर्मपत्नी श्री हनुमान सिंह आयु 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी चक 24 एराटीजी, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्य

4 भूप सिंह आयु 58 वर्ष
5 मदन सिंह आयु 54 वर्ष
पुत्रगण स्व० श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री खींव सिंह

6 दीप कंवर धर्मपत्नी स्व० श्री ब्रहम सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र स्व० श्री करणी सिंह

7 रविन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष
8 भंवर खुशबू आयु 38 वर्ष
पि0 स्व0 श्री बह्मम सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र स्व0 श्री करणी सिंह जाति राजपुत निवासीगण पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

बनाम

——वादीगण

1 रणछोड सिंह पुत्र स्व0 श्री लाधू सिंह, आयु 65 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी चक 23 एसटीजी, पीलीबंगा हाल आबाद करणी चौक, सुरेशिया, वार्ड नंबर 53, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ ।

2 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ।

दिनांक 9/5/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री लालचन्द व प्रतिवादी वकील छगनलाल सिडाना अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 14 एफ टी पी खाता संख्या 45/40 सम्वत 2075—2078 तादादी 0.759 है0 व कृषि भूमि चक 24 एन जी सी खाता संख्या 11/10 सम्वत 2075—2078 तादादी 0.064 है० व खाता संख्या 12/11 सम्वत 2075—2078 तादादी 5.313 है० कुल 6.136 है0 में वादीगण संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा, वादीगण संख्या – 4 व 5 बहिस्सा बराबर 2/12 हिस्सा वादीगण संख्या—6 से 8 ब0हिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा के खातेदार

घोषित किये जाकर प्रतिवादी स0 1 रणछोड सिंह पुत्र लाधु सिंह का नाम कलगजन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपरोक्त वर्णित तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा लिखी आज दिनांक 9/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

जारी की गई।

(सत्यनारायण [illegible])
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner